Title Request to Central Government for Demarcation exercise in Delhi.

रमेश बिधूड़ी (दक्षिण दिल्ली): सर, मैं आपका ध्यान कुछ ऐसे काले कानूनों की तरफ आकर्षित करना चाहता हूँ, जो देश में अंग्रेजों के जमाने से चल रहे हैं । यों तो हमारे माननीय प्रधान मंत्री जी ने 1500 कानूनों को बदला है, लेकिन इन काले कानूनों से गरीब व्यक्ति अफसरशाही से प्रताड़ित होते रहते हैं । इन प्रताड़ना के कारण वाइल्ड लाइफ सेन्चुरी, पर्यावरण, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और एक आर्किलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है । आर्किलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 1921 का कानून है और दिल्ली के अन्दर पर्यावरण का जो कानून है, वह वर्ष 1996 में लाया गया है । वर्ष 1996 की उसी पुरानी तर्ज को देखते हुए जो लोग उन जमीनों पर वर्ष 1996 से पहले बसे हुए हैं, जब उनका सर्वे कराया गया, उन नम्बर्स को फॉरेस्ट में डाला गया तो मौके पर जाकर चैक नहीं किया गया । वहां पर बिल्डिंग्स खड़ी थीं । कंक्रीट के महल थे । वहां 30 साल, 40 साल पहले मकान थे, लेकिन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और आर्किलॉजिकल डिपार्टमेंट का भय उन लोगों पर रहता है । वे भ्रष्टाचार और प्रताड़ना के भागी बनते हैं । वर्ष 1996 से पहले बसे पुराने लोगों को उजड़ने का एक भय बना रहता है । माननीय न्यायालयों का हवाला दिया जाता है या कुछ लोग कोर्ट में पीआईएल लगा कर उनको ब्लैकमेल करते हैं । अफसरों की ब्लैकमेलिंग और पीआईएल लगाने वालों की ब्लैकमेलिंग से लोग प्रताड़ित है । पुरातत्व विभाग के अधिकारी उनके रख-रखाव की जिम्मेदारी से हट जाते हैं कि हम मॉन्यूमेंट्स के मालिक हैं, जमीनों के मालिक नहीं हैं । लेकिन कानून में वह मॉन्यूमेंट की लैंड डाल रखी है । राज्य सरकार पल्ला झाड़ लेती है । वर्ष 2014 से पहले पार्लियामेंट में कानून बना है कि किसी गरीब व्यक्ति को छेड़ा नहीं जाएगा । वर्ष 1996 से पहले बसे हो, उन्हें सरकार हटाये या आर्किलॉजिकल में है कि देश की आज़ादी के बाद बसे हों, उन्हें सरकार हटाये । लेकिन जो वर्ष 2014 से पहले उस दायरे में आते हैं, पार्लियामेंट का वह कानून आर्किलॉजिकल और पर्यावरण विभाग के ऊपर लागू नहीं होता है । उन्होंने वहां एक बाथरूम बनाया है, एक कमरा बनाया है । इन डिपार्टमेंट्स के अधिकारियों द्वारा वे प्रताड़ित किए जाते हैं । मेरा आपसे निवेदन है कि राज्य सरकार को केन्द्र की तरफ से निर्देश जाए । डिमार्केशन कराना राज्य सरकार का काम है । आज कम से कम 20 हजार लोग महरौली के अंदर रहते हैं । महरौली में डीडीए को लेकर डीएम ने डिमार्केशन करनी है । दिल्ली में ऐसे लाखों लोग हैं, जो लाल कुआं, नारदां बस्ती, महरौली, गढ़ी, छतरपुर, असोला भाटी, नेब सराय में बसे हुए हैं । ऐसी सैकड़ों बस्तियां हैं, जहां कानून का भय दिखा कर उनकी गर्दन पर तलवार लटकी रहती है । वे बार-बार प्रताड़ित होते हैं । वे अच्छे वातावरण में जिएं तथा वन और पर्यावरण मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय इस पर ध्यान दें । राज्य सरकार के चीफ सेक्रेटरी को कहे और उसको हम पर न डाले तथा डिमार्केशन करवा कर दे । इन कानूनों में केन्द्र सरकार बदलाव करे । आपने मुझे बोलने का मौका दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद ।